निक्षेपगृहीता के कर्त्तव्य एवं दायित्व (Duties and Liabilities of Bailee)

(1) निक्षेप के सभी मामलों में निक्षेपगृहीता निक्षेपित माल की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है, जितनी कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य सामान्य परिस्थिति में, उसी मात्रा के गुण और मूल्य के अपनी निजी माल के सम्बन्ध में करता है।

(2) निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य है कि शर्तों को पूरी तरह पालन करने अन्यथा निक्षेपी अनुबन्ध समाप्त कर सकता है और निक्षेपित माल को वापस ले सकता है। (धारा 152)

(3) निक्षेप की शर्तों के विरीत वस्तु का उपयोग न करें। यदि निक्षेपगृहीता माल का अनाधिकृत उपयोग करता है अथवा माल को इस प्रकार उपयोग में लाता है, जो निक्षेप की शर्त के विपरीत है, तो वह ऐसे उपयोग से माल में होने वाली हानियों के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 154)

Scanned with CamScanner

(4) निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपने निजी माल के साथ निक्षेपी के माल को न मिलाये, यदि निक्षेपगृहीता ऐसा करता है, तो उसके दायित्व निम्नलिखित होंगे-

(क) यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपों की सहमति से उसके माल को अपने निजी माल के साथ मिला देता है, तो इस मिलावट में निक्षेपी और निक्षेपगृहीता का हित उनके माल के अनुपात में होगा। (धारा 155)

(ख) यदि निक्षेपगृहीता, निक्षेपी की बिना सहमति के निक्षेपित माल को अपने निजी माल के साथ मिलाता है और माल को अलग-अलग किया जा सकता है, तो दोनों पक्षकार अपने-अपने माल के अधिकारी होंगे, लेकिन माल को अलग करने का व्यय एवं मिलावट से होने वाली क्षति स्वयं निक्षेपगृहीता को सहन करनी पड़ेगी। (धारा 156)

(ग) यदि निक्षेपगृहीता, निक्षेपी की सहमति के बिना, उसके माल को निजी माल के साथ इस तरह मिला देता है कि निक्षेप किये गये माल को दूसरे माल से अलग करना सम्भव न हो, तो निक्षेपी वस्तु की हानि के लिए निक्षेपगृहीत से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। (धारा 157)

(5) निक्षेप की समयावधि बीत जाने अथवा उद्देश्य के पूरा हो जाने पर निक्षेपगृहीता का कर्त्तव्य है कि वह निक्षेपी के निर्देशानुसार, बिना माँगे उसे माल वापस कर दे। (धारा 160)

(6) यदि निक्षेपगृहीता उचित समय के भीतर निक्षेपित माल को नहीं लौटाता, तो वह उस समय के बाद होनेवाली हानि अथवा क्षय के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 161)

(7) यदि निक्षेपित माल की वचनगृहीता के यहाँ कोई वृद्धि होती है अथवा निक्षेपित माल पर कुछ लाभ होता है तो निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी वृद्धि या लाभ निक्षेपी को अथवा उसके आदेशानुसार माल के साथ ही वापस कर दें। (धारा 163)

(8) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, निक्षेपगृहीता को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें निक्षेपी के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती हो।

निक्षेपगृहीता के अधिकार (Rights of Bailee)

साधारण निक्षेपी के जो कर्त्तव्य है उन्हीं के आधार पर निक्षेपगृहीता के निम्नलिखित अधिकार होते है-

(1) **निक्षेपगृहीता निक्षेपी से ऐसी क्षति को प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे निक्षेपित माल के दोष के न बताने के कारण हुई है। (धारा 160)**

(2) **धारा 158 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता को निक्षेपी के लिए कोई वस्तु रखने, ले जाने अथवा कोई अन्य कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो वह निक्षेपी से ऐसे आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उसके द्वारा निक्षेपी के लिए किये गये हैं।**

इसके अलावे यदि निक्षेपगृहीता ने निक्षेपित माल के सम्बन्ध में कोई असाधारण व्यय किये हों तो वह निक्षेपी से ऐसे समस्त व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

(3) धारा 159 के अनुसार, यदि निःशुल्क निक्षेप है तो निक्षेप में निर्दिष्ट समय व्यतीत अथवा उद्देश्य के पूरा होने के पूर्व निक्षेपी उधार दिये गये माल को वापस ले लेता है एवं निक्षेपी के इस व्यवहार के कारण निक्षेपगृहीता को उस माल से लाभ की तुलना में हानि अधिक हुई है तो निक्षेपी से हानि और लाभ के अन्तर को प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) धारा 164 के अनुसार, निक्षेपगृहीता निक्षेपी से ऐसी क्षति को प्राप्त करने का अधिकारी है जो निक्षेपगृहीता को निक्षेपित वस्तु के सम्बन्ध में निक्षेपी के स्वामित्व सम्बन्धी दोषों के कारण हुई है।

(5) धारा 165 के अनुसार, यदि माल के स्वामियों द्वारा माल को निक्षेप किया गया है, तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में निक्षेपगृहीता किसी एक सहस्वामी को अन्य स्वामियों की सहमति के बिना ही माल को लौटा सकता है।

(6) धारा 166 के अनुसार, यदि निक्षेपित माल में निक्षेपी का अधिकार नहीं है और निक्षेपगृहीता निक्षेपों के आदेशानुसार माल को सद्भाव से लौटा देता है, तो निक्षेपगृहीता ऐसी सुपुर्दगी के लिए माल के वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी है।

(7) धारा 167 के अनुसार, यदि निक्षेपी के अलावा अन्य दूसरा व्यक्ति निक्षेपी माल के स्वामित्व का दावा करता है, तो वह न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि निक्षेपी को माल की सुपुर्दगी न दी जाय। ऐसी परिस्थिति में निक्षेपगृहीता को यह अधिकार होगा कि वह निक्षेपी को माल की सुपुर्दगी न करें।

(8) धारा 170 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता ने निक्षेपित वस्तु के लिए कोई सेवा की है, तो किसी विपरीत अनुबन्ध में उसे सेवा का पारिश्रमिक प्राप्त करने तक वस्तु को रोक रखने का अधिकार होता है।

(9) धारा 180 एवं 181 के अनुसार, यदि कोई तीसरा व्यक्ति दोषपूर्ण तरीके से निक्षेपगृहीता को निक्षेपित माल के प्रयोग अथवा अधिकार से वंचित करता है अथवा कोई क्षति पहुँचाता है, तो निक्षेपगृहीता को ऐसे सभी उपचार प्रयोग में लाने का अधिकार है जो कि माल के स्वामी को समान परिस्थितियों में उपलब्ध होते, यदि माल का निक्षेप न हुआ होता।

Scanned with CamScanner